

बजट आवंटन – कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना 2017-18

13 अंकों का कोड – 2225032770900

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
देवरिया, आगरा एवं बलिया (03 जनपद)।

पत्रांक: 2666 - COMPUTER TRAINING / पि0व0क0 / 2017-18 दिनांक: 05 मार्च, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिये स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 04/2017/121/64-2-2017-1(17)/2017, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या 14/2017/656/64-2-2017-1(17)/2017, दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा रू0 11,00,00,000.00 (रूपया ग्यारह करोड़ मात्र) की स्वीकृति द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष रू0 13,15,500.00 (रू0 तेरह लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या- 3/2017/बी0-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में अंकित दिशा निर्देशों, संगत वित्तीय नियमों एवम् आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।
2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्रचलित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
4. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-09-पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
5. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर

तद्विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेगे।

7. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

8. कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा।

9. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाना होगा:-


1. मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप बी0एम0-8 पर एवं डी0डी0ओ0 रिकंसिलिएशन सीट के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक।


2. वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.3.2018 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 41 से 45 पर अंकित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक


(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृ0स0: 2666 -COMPUTER TRAINING / पि0व0क0 / 2017-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
3. समस्त सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
5. नियोजन अनुभाग-4
6. सम्बन्धित जोन प्रभारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित पटल सहायक।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-06/03/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 005-O LEVEL COMPU TRAINING
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
09 - पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	योग
1	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	570000 1575000	570000 1575000
2	बलिया-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	276500 2061500	276500 2061500
3	देवरिया-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	469000 1789000	469000 1789000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1315500 5425500	1315500 5425500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौवन लाख पच्चीस हजार पाँच सौ


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी